

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला वाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 878

दिनांक 05/06/25

अनवान :-

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
आसूदेवी वगैरा	बनाम	पूराराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111.128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी वावत ।

राजस्व आवेदन सं. 264/2024

दिनांक : 04.06.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र लीलसर के मौजा मुकने का तला के खेत खसरा सं. 831/385 रकबा 05.5604 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के स्वरू मुस्तकिल/स्थाई विन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हो. प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2025/ 879 to 882

प्रतिलिपि :-


1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी आसूदेवी वगैरा
3. विप्रार्थीगण पूराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/वीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

दिनांक

चौहटन  
05/06/25

()  
ता चौहान)  
अधिकारी  
चौहटन  
उपखण्ड अधिकारी